

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2010

संख्या का०आ० 89/के०अ० 53/2005/धारा० 78/2010.—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), की धारा 78 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय है, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53);

(2) इनमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. (1) राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय चण्डीगढ़ में या किसी स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए।

राज्य प्राधिकरण की बैठक तथा गणपूर्ति। धारा 15(1)

(2) राज्य प्राधिकरण की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(3) राज्य प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति पांच सदस्यों की होगी। यदि कोई बैठक गणपूर्ति की कमी के कारण स्थगित होती है तो उत्तरवर्ती बैठक के लिए गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(4) राज्य प्राधिकरण, कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को विशिष्ट राय हेतु अपनी बैठक में बुला सकता है।

4. (1) राज्य प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी जब तक कि उसे दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा हटा न दिया जाए।

राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की शर्तें। धारा 11(5)

(2) राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पर ही सदस्य का पद धारण करेगा। राज्य सरकार किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद हटा सकती है।

(3) राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य, राज्य प्राधिकरण के सदस्य के पद से राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्याग-पत्र दे सकता है तथा ऐसा त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

(4) जब राज्य प्राधिकरण में सदस्य के पद की कोई रिक्ति त्याग-पत्र, अग्रोग्यता, मृत्यु या अन्यथा से उत्पन्न होती है, तो रिक्ति नए नामांकन द्वारा भरी जाएगी।

(5) गैर सरकारी सदस्यों को बैठक भत्ता तथा यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जायेगा जिसका निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

सलाहकार समिति
के सदस्य की
अवधि तथा भत्ते।

5. धारा 17 के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति की अवधि ऐसी होगी जो इसके गठन के आदेश में विनिश्चित की जाए। सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे भत्ते दिए जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं।

सचिवालय की
स्थापना। धारा 78

6. (1) राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य प्राधिकरण के लिए एक सचिवालय होगा।

(2) ये राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की गई विस्तृत नीतियों के अधीन कार्य करेगा तथा जो आपदा प्रबन्धन की नीतियों, बचाव, कार्यप्रणाली तथा प्रभाव कम करने सम्बन्धी उपायों के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए पत्राचार तथा आयोजन तथा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के विकास के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) ये उत्तरदायी होगा कि वह —

(क) राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को उसके कार्यों को पूरा करने में सहायता करें ;

(ख) राज्य कार्यकारी समिति की बैठक से सम्बन्धित पूरा रिकार्ड रखें ;

(ग) आगे कार्यवाही करने हेतु ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को समय पर लागू करें ;

(घ) ऐसे अन्य कार्य करने हेतु जो कार्यकारी के अध्यक्ष उनसे कार्य करने की मांग करें।

(4) राज्य सरकार समय-समय पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परामर्शदाताओं की सेवाएं ले सकेगी। परामर्शदाताओं की कार्यविधि तथा सेवा शर्तें ऐसी होगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएंगी। प्रथम समय कार्यविधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी जो एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(5) अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी जो राज्य प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक समझे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई प्रतिनियुक्ति की निबन्धन तथा शर्तों के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर लिए जाएंगे।

राज्य कार्यकारी
समिति के अध्यक्ष
की शक्तियां तथा
कृत्य।
धारा 20(3)

7. (1) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा :

परन्तु समिति की किसी बैठक का सभापतित्व करने की उसकी असमर्थता की दशा में, वह किसी एक सदस्य को बैठक का सभापतित्व करने हेतु मनोनीत करेगा।

(2) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, आपातकाल की दशा में राज्य कार्यकारी समिति की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन होगा।

(3) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष जब आवश्यकता हो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक उप समिति का गठन कर सकता है।

8. (1) राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का दिन, समय और स्थान विनिश्चित करेगा।

राज्य कार्यकारी
समिति द्वारा
अपनाई जाने वाली
प्रक्रिया।
धारा 20(4)

(2) राज्य कार्यकारी समिति की बैठक जब कभी आवश्यक हो, होगी तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर होगी, जैसा अध्यक्ष द्वारा कम से कम तीन दिन के पूर्व नोटिस सहित विनिश्चित किया जाए :

परन्तु आपातकालीन बैठक की दशा में तीन दिनों का पूर्व नोटिस अनिवार्य नहीं होगा।

(3) राज्य कार्यकारी समिति की बैठक वर्ष में जब तथा जहां आवश्यक हो कम से कम दो बार होगी।

(4) राज्य कार्यकारी समिति के प्रारम्भ से कम से कम 24 घण्टे पूर्व परिचालित किए गए एजेंडे के अनुसार कारबार पर विचार किया जाएगा :

परन्तु आपातकाल की बैठक में एजेंडे का पूर्व परिचालन अनिवार्य नहीं होगा।

(5) राज्य कार्यकारी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की होगी।

(6) राज्य कार्यकारी समिति राज्य सरकार के किसी अधिकारी को इसकी बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

(7) राज्य कार्यकारी समिति प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित करेगी।

9. (1) धारा 21 के अधीन गठित उप समिति की अवधि ऐसी होगी जो इसके गठन के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

उप समिति की
अवधि तथा उप
समिति के सदस्यों
को देय भत्ते।
धारा 21(3)

(2) उप समिति के सदस्य को ऐसी यात्रा तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा जो आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार की पदवी के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

(3) उप समिति का सदस्य यात्रा भत्ते के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित बैठक भत्ता प्राप्त करेगा।

10. (1) जिला प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी जब तक कि उसे दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा हटा न दिया जाए।

राज्य प्राधिकरण
की बैठक तथा
गणपूर्ति।

(2) जिला प्राधिकरण का कोई सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा। राज्य सरकार किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद हटा सकती है।

(3) जिला प्राधिकरण का कोई सदस्य पद से जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आशय का अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना देते हुए त्याग-पत्र दे सकता है तथा ऐसा त्याग-पत्र ऐसी तिथि जिसको ऐसा नोटिस अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है, से प्रभावी होगा।

(4) जहां जिला प्राधिकरण के कार्यालय में सदस्य की कोई रिक्ति त्याग-पत्र, अयोग्यता, मृत्यु या अन्यथा के कारण होती है, तो रिक्ति नए नामांकन द्वारा भरी जाएगी।

(5) गैर सरकारी नामनिर्दिष्ट सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथ विनिश्चित बैठक भत्ता तथा यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

(6) जिला प्राधिकरण का मुख्यालय सम्बद्ध जिले का मुख्यालय होगा।

(7) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला प्राधिकरण की बैठक का समय तथा स्थान निश्चित करेगा।

(8) जिला प्राधिकरण की गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी। यदि कोई बैठक गणपूर्ति की कमी के कारण स्थगित होती है तो उत्तरवर्ती बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

जिला प्राधिकरण
के अध्यक्ष की
शक्तियां। धारा 26
तथा 27

11. (1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जब कभी अपेक्षित हो, भारत सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के निर्देशों को लागू करने हेतु ऐसे कार्यान्वयन की रीति के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण से मार्गदर्शन मांग सकता है।

(2) जिला प्राधिकरण प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।

राज्य प्राधिकरण के
लेखे। धारा 48

12. राज्य प्राधिकरण के लेखों में राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धन राशियां तथा खर्च शामिल होंगे जिसमें धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि तथा धारा 48 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन गठित राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में प्राप्त निधियां तथा लेखा-जोखा देना भी शामिल होगा।

वार्षिक रिपोर्ट तथा
वार्षिक लेखों की
तैयारी और प्रस्तुत
करना। धारा 48
तथा 70

13. (1) राज्य प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष प्रारम्भ होने के बाद, यथा शीघ्र वार्षिक खर्च तथा आय का विवरण दर्शाते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। राज्य सरकार भारत सरकार से परामर्श करते हुए भारत सरकार के पैनल पर लेखा-परीक्षकों या भारत के कम्पट्रोलर तथा महालेखा परीक्षक या हरियाणा के महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जैसी भी स्थिति हो, से प्राप्त सभी समाशोधन राशियां तथा उपगत किए गए खर्च तथा अन्य फुटकर लेखों का समामेश होगा। तथापि लेखों की किताबें भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जब उन द्वारा आवश्यक समझा जाए निरीक्षण/लेखा परीक्षा हेतु खुली रहेंगी।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों पर पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों का लेखा शामिल होगा :—

(i) राज्य प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य तथा राज्य की दूरदर्शिता का विवरण;

- (ii) विभिन्न गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्य, भौतिक तथा वित्तीय निबन्धन, उन लक्ष्यों के संदर्भ सहित वास्तविक काम के संक्षिप्त सर्वेक्षण तैयार करना ;
- (iii) पूर्व वित्त वर्ष के दौरान राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा गतिविधियों का एक लेखा जो अगले वित्त वर्ष के दौरान किए जाने सम्भावित हैं ;
- (iv) पूर्व वित्त वर्ष तथा रिपोर्ट वर्ष के दौरान वास्तविक खर्च का संक्षिप्त विवरण जिसमें आय तथा व्यय के साथ-साथ स्रोत तथा लागूकरण के विवरण के द्वारा यथा उपदर्शित करना ;
- (v) नीति में आवश्यक बदलाव तथा किए गए या किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष उपाय, जो राज्य प्राधिकरण के कृत्यों पर प्रभाव डालते हैं या प्रभाव डालने के लिए सम्भाव्य हैं ;
- (vi) राज्य प्राधिकरण की संगठनात्मक स्थापना में आवश्यक बदलाव ;
- (vii) अन्य विविध विषय जो राज्य प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा ठीक समझे।

(3) वार्षिक रिपोर्ट राज्य प्राधिकरण की बैठक में अपनाई जाने के लिए रखी जाएगी तथा राज्य प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाते हुए प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष या राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसकी मांगी गई प्रतियां आगामी वर्ष के 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) वार्षिक लेखे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे तथा इसकी ओर से इसके अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे तथा राज्य प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाते हुए प्रमाणित किए जाएंगे तथा प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक या राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई ऐसी तिथि तक महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) हरियाणा को लेखा परीक्षा के लिए भेजे जायेंगे।

(5) लेखा परीक्षा अधिकारी राज्य प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा तथा रिपोर्ट करेगा और प्रमाणित करेगा कि क्या उसकी राय में राज्य प्राधिकरण के व्यय तथा आय की विवरण में सभी ब्यौरे हैं तथा कार्यकलाप की सही और स्पष्ट स्थिति उपदर्शित करने के लिए किया गया है और यदि वह राज्य प्राधिकरण या उसके किसी अधिकारी से कोई सूचना मांगता है, क्या वह दी गई है या क्या ये संतोषजनक हैं ?

(6) राज्य प्राधिकरण इसकी वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ विधिवत लेखा-परीक्षा किए गए लेखे या उसके संलग्नक में प्रत्येक आरक्षण, योग्यता या लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल टिप्पणियों पर इसके अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और राज्य प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा के साथ प्रमाणित होगी, में सूचना देने तथा स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगा।

(7) वार्षिक लेखा और उस पर वार्षिक रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्टें राज्य सरकार को आगामी वर्ष में जिससे लेखे संबंधित हों, दिसंबर के इकत्तीसवें दिन तक या ऐसी तिथि तक जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत की जाएगी।

(8) राज्य प्राधिकरण इसके लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में उस द्वारा उपगत खर्च महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) हरियाणा को देने का प्रबन्ध करेगा।

राज्य आपदा
प्रतिक्रिया निधि की
स्थापना तथा
अपनाई जाने वाली
प्रक्रिया। धारा 48.

14. (1) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान या राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त बाह्य सहायता, आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी दान या स्वयंसेवी द्वारा दिये गये दान सहित किसी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त अंशदान/अनुदान शामिल होगा।

(2) इसका उपयोग, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा राज्य सरकार तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शनों के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत तथा पुनर्वास, के लिए खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(3) ये राज्य और राज्य प्राधिकरण के मार्गदर्शन सहित राज्य कार्यकारी समिति द्वारा प्रशासित होगी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग किसी वित्तीय स्कीम के लिए नहीं किया जाएगा जिसका सामान्यतः प्रबंध करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। यदि, कोई स्कीम राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से वित्तपोषित है, तो उसे राज्य प्राधिकरण की सहमति से राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित वित्तपोषित करेगी।

(4) राज्य प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी सहित राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को राष्ट्रीयकृत बैंकों या राज्य सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंकों में एक या इससे अधिक खातों में निवेश कर सकती है।

(5) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग अपनी आपदा प्रबंधन योजना में वर्णित गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए अपने वार्षिक बजट में व्यवस्था करेगा।

(6) नियमित लेखे राज्य कार्यकारी समिति द्वारा रखे जायेंगे, और जब कभी आवश्यक हो, इस प्रयोजन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं ली जा सकती हैं। लेखा-परीक्षक यह प्रमाणित करेगा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से किया गया खर्च उक्त निधि के लक्ष्य के अनुसार उपगत किया गया है। इस निधि के लेखे तथा लेखा-परीक्षा भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध लेखा-परीक्षकों द्वारा या महालेखाकार आडिट हरियाणा द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, के निर्देशानुसार होगी। तथापि, लेखों की किताबें भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विशेष या सामान्य निरीक्षण उसकी लेखा परीक्षा हेतु खुली रहेंगी।

राज्य आपदा
न्यूनीकरण निधि
की स्थापना तथा
अपनाई जाने वाली
प्रक्रिया। धारा 48.

15. (1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त बाह्य सहायता और आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से प्राप्त अंशदान/अनुदान तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की परिसम्पत्तियों से आय का ब्यौरा रखेगी।

(2) इसका उपयोग आपदाओं की रोकथाम तथा तैयारी सहित आपदा न्यूनीकरण के लिए परियोजनाओं पर खर्च करने हेतु किया जाएगा। इन परियोजनाओं में, अन्य बातों के साथ जो क्षेत्र आता है, वह इस प्रकार है :-

- (क) निर्माण क्षमता ;
- (ख) जन चेतना ;
- (ग) सूचना तथा संसूचना प्रणाली जिसमें अवसंरचना का सृजन शामिल है जैसे कि राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केन्द्र ;
- (घ) पूर्वानुमान तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार ;
- (ङ) राज्य आपदा न्यूनीकरण स्रोत आरक्षितियों का सृजन ;
- (च) प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास ;
- (छ) वर्तमान लोक परिसम्पत्तियों तथा इस प्रकार सृजित या विद्यमान अवसंरचना तथा सुख-सुविधाओं का रख-रखाव।

(3) राज्य प्राधिकरण, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को राष्ट्रीयकृत बैंकों या राज्य सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंकों में एक या इससे अधिक खातों में निवेश कर सकती है।

(4) नियमित लेखे और उनकी लेखा परीक्षा भारत सरकार की सलाह अनुसार, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध लेखा-परीक्षक, भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो, के निर्देशानुसार अनुरक्षित किए जाएंगे। तथापि लेखों की किताबें भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जब भी उन द्वारा आवश्यक समझा जाए, निरीक्षण हेतु खुली रहेंगी। इस प्रयोजन के लिए चार्टर्ड आकउंटेंट की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। लेखा-परीक्षक यह प्रमाणित करेगा कि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से किया गया खर्च उक्त निधि के उद्देश्यों के अनुसार उपगत किया गया है।

(5) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग अपनी आपदा प्रबंधन योजना में वर्णित गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए अपने वार्षिक बजट में प्रावधान करेगा।

16. (1) जिला प्राधिकरण के लेखों में जिला प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियां, खर्च शामिल होंगे जिसमें जिला प्रक्रिया निधि के अधीन गठित जिला आपदा न्यूनीकरण निधि में प्राप्त निधियां तथा लेखा-जोखा देना भी शामिल है।

(2) (i) जिला प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ के बाद वार्षिक खर्च तथा आय विवरण दर्शाते हुए यथाशीघ्र वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें जिला स्तर पर प्राप्त सभी धन तथा उपगत खर्च तथा अन्य सहायक लेखा जो राज्य प्राधिकरण महालेखाकार, हरियाणा के परामर्श से निदेश करे, शामिल होगा, तथा उसे आगामी वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

वित्त लेखों तथा लेखा परीक्षा के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। धारा 48 तथा 78.

(ii) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों पर पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान जिला प्राधिकरण की गतिविधियों का लेखा शामिल होगा :-

- (क) जिला प्राधिकरण के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों तथा दूरदर्शिता का विवरण;
- (ख) विभिन्न गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्य, भौतिक तथा वित्तीय निबन्धन इन लक्ष्यों के संदर्भ सहित वास्तविक काम करने के संक्षिप्त सर्वेक्षण तैयार करना ;
- (ग) पूर्व वित्त वर्ष के दौरान जिला प्राधिकरण की गतिविधियों की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा गतिविधियों का एक लेखा जो अगले वित्त वर्ष के दौरान किया जाना संभाव्य है ;
- (घ) पूर्व वित्त वर्ष तथा रिपोर्ट वर्ष के दौरान वास्तविक खर्च की एक समरी, जिसमें (क) आय तथा व्यय (ख) स्रोत तथा लागूकरण के विवरण के अनुसार उपदर्शित है ;
- (ङ) नीति में आवश्यक बदलाव तथा किए गए या किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष उपाय जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के कृत्यों पर प्रभाव डालते हैं या प्रभाव डालने के लिए संभाव्य हैं ;
- (च) जिला प्राधिकरण की संगठनात्मक स्थापना में आवश्यक बदलाव ;
- (छ) अन्य विविध विषय जो ठीक समझे जाएं।

(3) वार्षिक रिपोर्ट जिला प्राधिकरण की बैठक में अपनाए जाने के लिए रखी जायेगी तथा जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाते हुए प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षरित की जाएगी और उसकी मांगी गई प्रतियां आगामी वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व राज्य प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) वार्षिक लेखे जिला प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे तथा जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे तथा जिला प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाते हुए प्रमाणित किए जायेंगे तथा प्रत्येक वर्ष के 15 सितम्बर तक या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ऐसी तिथि तक महालेखाकार, हरियाणा को लेखा परीक्षा के लिए भेजे जायेंगे।

(5) लेखा परीक्षा अधिकारी जिला प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा तथा रिपोर्ट करेगा और प्रमाणित करेगा कि क्या उसकी राय में जिला प्राधिकरण के व्यय तथा आय विवरणी में सभी ब्यौरे हैं, कार्यकलाप की स्थिति को सही और ऋजु उपदर्शित करने के लिए किया गया है और यदि वह जिला प्राधिकरण या उसके किन्हीं अधिकारियों से कोई सूचना मांगता है, चाहे वह दी गई है तथा चाहे वह संतोषजनक है।

(6) जिला प्राधिकरण सम्यक रूप से संपरीक्षित लेखों की अन्य बातों के साथ अन्तर्विष्ट इसकी वार्षिक रिपोर्ट में या जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और जिला

प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा लगाकर अधिप्रमाणित संपरीक्षित रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट प्रत्येक शर्त, योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियों पर इसके परिशिष्ट में सूचना तथा स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगा।

(7) वार्षिक लेखे और वार्षिक रिपोर्ट सहित उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट राज्य प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को आगामी वर्ष जिससे लेखे संबंधित हों, के 31 दिसम्बर से पूर्व या ऐसी तिथि जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तक प्रस्तुत की जाएगी।

17. (1) जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार या राज्य प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किए गए अनुदानों या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा प्राप्त बाह्य सहायता तथा जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति संस्था से प्राप्त अंशदानों/अनुदानों तथा परिसम्पत्तियों से प्राप्त आय से गठित होगी।

(2) ये राज्य सरकार तथा राज्य प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अधिकथित मार्गदर्शनों के अनुसार आपातकाल प्रतिक्रिया, राहत तथा पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(3) ये राज्य सरकार तथा राज्य कार्यकारी समिति के मार्गदर्शन के अधीन जिला प्राधिकरण द्वारा प्रशासित होगी।

(4) ये प्राधिकरण जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि राष्ट्रीयकृत बैंकों या अनुसूचित बैंकों में एक या अधिक खातों में निवेश किया जाएगा।

(5) जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग, बोर्ड या निगम इसकी आपदा प्रबन्धन योजना में तैयार की गई गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए अपने वार्षिक बजट में उपबन्ध करेगा।

18. (1) जिला आपदा न्यूनीकरण निधि, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अनुदान या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा प्राप्त बाह्य सहायता और आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से प्राप्त अंशदान/अनुदान तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की परिसम्पत्तियों से आय से गठित होगी।

(2) इसका उपयोग आपदाओं की रोकथाम तथा तैयारी सहित आपदा न्यूनीकरण के लिए परियोजनाओं पर खर्च करने हेतु किया जाएगा। इन परियोजनाओं में, अन्य बातों के साथ जो क्षेत्र आता है, वइ इस प्रकार है :-

(क) निर्माण क्षमता ;

(ख) जन चेतना ;

(ग) सूचना तथा संसूचना प्रणाली जिसमें अवसंरचना का सृजन शामिल है जैसे कि राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्र ;

जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि की स्थापना तथा इसके संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। धारा 48 तथा 78.

जिला आपदा न्यूनीकरण निधि की स्थापना तथा इसके प्रचलन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। धारा 48 तथा 78

- (प) पूर्वानुमान तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली में क्षति;
- (क) राज्य आपदा तयारीकरण तथा आरम्भियों को सूचना;
- (घ) प्रशिक्षण अनुसंधान तथा निगरानी;
- (फ) वर्तमान लोक परिणामों तथा इस प्रकार सृजित या विद्यमान अपसरणों तथा सूक्ष्म सूचियों को देना होगा।

(1) प्रत्येक प्रयोग विद्या प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(4) विद्या प्राधिकरण, विद्या आपदा-सूचीकरण निधि को राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रों या समूहित क्षेत्रों में एक या अधिक स्तरों में निवेश कर सकता है।

(5) इस निधि के लेटों तथा लेखा-परीक्षा विद्या प्राधिकरण द्वारा अनुमति मिले धार्यों तथा जब भी आवश्यक हो, इस कार्य के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। लेखा-परीक्षक यह प्रमाणित करेगा कि विद्या आपदा-सूचीकरण निधि से खर्च उक्त निधि के उद्देश्यों के अनुसार उपगत किया गया है। इस निधि के लेखों तथा लेखा-परीक्षा भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध लेखा-परीक्षकों या नियंत्रक या महालेखाकार, भारत सरकार या महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) हरियाणा, जैसी भी विधि हो, के द्वारा जारी किये गये निर्देशों अनुसार होंगे। तथापि, लेखों की किताबें भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नियोजित या सामान्य निरीक्षण लेखा-परीक्षा के लिए खुली रहेंगी।

नरेश गुलाबी,

विभागाध्यक्ष एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

राज्य तथा आपदा प्रबंधन विभाग।

HARYANA GOVT. ORDER, AUG. 24, 2010
(BUDR. & DIS. MGMT. A.)

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 23rd August, 2010

No. S. O. 89/C. A. 53/2005/S. 78/2010.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:

1. These rules may be called the Haryana State Disaster Management Rules, 2010. Short Title
2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,— Definitions
 - (a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005),
 - (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act
3. (1) The headquarter of the State Authority shall be at Chandigarh or at any place as may be decided by the State Government from time to time. Meeting and quorum of State Authority Section 13(1)
 - (2) The State Authority shall meet at least twice in a year
 - (3) The quorum of the State Authority shall be of five members. In case a meeting is postponed due to lack of quorum, the subsequent meeting shall not have any requirement of quorum.
 - (4) The State Authority can call any member of the Executive Committee in its meeting to seek expert opinion.
4. (1) The term of the nominated members of the State Authority shall be two years unless removed by State Government before completion of term of two years. Term of office and conditions of service of Members of State Authority Section 13(5)
 - (2) A member of the State Authority shall hold office at the pleasure of the Government. The State Government may remove any member after affording him an opportunity of being heard.
 - (3) Any member of the State Authority may resign from the office of member of the State Authority by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the State Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson
 - (4) Where a vacancy of member occurs in the office of the State Authority by reason of resignation, disqualification, death or otherwise, the vacancy may be filled by fresh nomination.

(5) Non-official members will be paid sitting allowance, travelling and daily allowances as fixed by the State Government from time to time.

5. The term of the advisory committee constituted by the State Authority under Section 17 shall be such as may be specified in the order of its constitution. The members of the Advisory Committee shall be paid such allowances as may be decided by the State Government from time to time.

6. (1) There shall be a Secretariat to the State Authority under the administrative control of the State Government.

(2) It shall function within the broad policies laid down by the State Authority, and shall be responsible for planning and promoting training and research in the area of Disaster Management, documentation and development of State level information base relating to disaster management policies, prevention, mechanisms and mitigation measures.

(3) It shall be responsible :—

- (a) to assist the Chairperson of the State Executive Committee in the performance of his functions;
- (b) to maintain proper records relating to the meetings of the State Executive Committee;
- (c) to take follow up action to ensure that the decisions taken in the meetings of the State Executive Committee are implemented in time; and
- (d) to perform such other functions as the Chairperson may desire them to perform.

(4) The State Government may engage the services of consultants from time to time as per its requirement. The terms and conditions of the consultants shall be such as may be fixed by the State Authority. The tenure shall not exceed two years in the first instance which may be extended by one year.

(5) The State Authority may engage such other officers and employees, as it considers necessary, for carrying out the functions of the State Authority. These officers and employees shall be taken on deputation basis on such terms and conditions of deputation as may be determined by the State Government from time to time.

7. (1) The Chairperson of the State Executive Committee shall preside over the meetings of the State Executive Committee:

Provided that in the case of his inability to preside over any meeting, he shall nominate one of the members the State Executive Committee to preside over the meeting.

n and
vances of a
ber of
sory
mittee.
ion 17(2)

blishment
ecretariat.
ion 78.

s and
ons of
erson of
Executive
ittee.
n 20(3)

(2) The Chairperson of the State Executive Committee shall, in case of emergency, have the power to exercise all or any of the powers of the State Executive Committee, but exercise of such powers shall be subject to ratification by the State Executive Committee.

(3) The Chairperson of the State Executive Committee may constitute a sub-committee, when required with the prior approval of State Government.

8. (1) The Chairperson of the State Executive Committee shall decide the day, time and place of a meeting of the State Executive Committee.

(2) The State Executive Committee shall meet as and when necessary and at such time and place, as may be decided by the Chairperson with prior notice of at least three days:

Provided that in case of an emergency meeting, prior notice of three days shall not be mandatory.

(3) The State Executive Committee shall meet as and when necessary but atleast twice a year.

(4) The State Executive Committee shall discuss the business as per agenda circulated at least 24 hours before the commencement of the meeting:

Provided that in case of an emergency meeting, prior circulation of the agenda shall not be mandatory.

(5) Quorum for holding a meeting of State Executive Committee shall be three members including Chairperson.

(6) The State Executive Committee may invite, any officer of State Government as a special Invitee to attend its meetings.

(7) The State Executive Committee shall forward the minutes of every meeting to the State Authority.

9. (1) The term of Sub-committee constituted under Section 21 shall be such as may be specified in the order of its constitution.

(2) A member of the Sub-committee shall be paid travelling and daily allowances as are admissible to the officers of the rank of Commissioner and Secretary to Government, Haryana.

(3) A member of the Sub-committee shall in addition to travelling allowance, receive sitting allowance as decided by State Government.

10. (1) The term of the nominated members of the District Authority shall be two years unless removed by State Government before completion of term of two years.

(2) A member of the District Authority shall hold office at the pleasure of the State Government. The State Government may remove any member after affording him an opportunity of being heard.

Procedure to be followed by State Executive Committee.
Section 20(4)

Term of Sub-committee and allowances to be paid to a member of Sub-committee.
Section 21(3)

Meeting and quorum of District Authority.
Section 25

(3) Any member of the District Authority may resign from the office giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the District Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson.

(4) Where a vacancy of member occurs in the office of the District Authority by reason of resignation, disqualification, death or otherwise, the vacancy may be filled by fresh nomination.

(5) Non-official members will be paid sitting allowance, travelling and daily allowances as fixed by the State Government from time to time.

(6) The headquarter of the District Authority shall be the headquarter of the district concerned.

(7) The Chairperson of the District Authority shall decide time and venue of the meeting of the District Authority.

(8) The quorum of the District Authority shall be of four members. In case a meeting is postponed due to lack of quorum, the subsequent meeting shall not have any requirement of quorum.

Powers of
Chairpersons of
District
Authority.
Sections 26 and
27.

11. (1) The Chairperson of the District Authority may, as and when required, in the implementation of the directions of the Government of India, National Authority and State Government, seek guidance from the State Authority as to the modalities of such implementation.

(2) The District Authority shall forward the minutes of every meeting to the State Authority.

Accounts of
State Authority.
Section 48.

12. The accounts of the State Authority shall include all sums of money received and expended by the State Authority including the funds received and accounted for in the State Disaster Response Fund constituted under clause (a) of Sub-section (1) of Section 48 and the State Disaster Mitigation Fund constituted under clause (c) of sub section (1) of section 48.

Preparation
and submission
of annual
report and
annual
accounts.
Sections 48 and
70.

13. (1) The State Authority shall prepare, as soon as may be, after the commencement of each financial year, the annual report showing the annual expenditure and income statement which shall include all money received and expenditure incurred and other subsidiary accounts, as the State Government may, in consultation with the Government of India, Auditors empanelled by Government of India or Comptroller and Auditor General of India or the Accountant General, (Audit) Haryana direct, as the case may be. However, the books of accounts shall remain open for inspection/audit by the officers of Government of India/State Government when considered necessary by them.

(2) The annual report shall include an account of activities of the State Authority during the previous financial year on the following matters:—

- (i) a statement of aims and objectives and vision of State Authority;
- (ii) annual targets, in physical and financial terms set out for various activities with a brief review of actual performance with reference to those targets;
- (iii) an administrative report on the activities of the State Authority during the previous financial year and an account of activities which are likely to be taken up during the next financial year;
- (iv) a summary of actual expenditure during the previous financial year and the year of report as indicated by way of statement of income and expenditure as well as sources and application;
- (v) important changes in policy and specific measures either taken or proposed to be taken, which have influenced or are likely to influence the functioning of the State Authority;
- (vi) important changes in the organizational set up of State Authority;
- (vii) other miscellaneous subjects as deemed fit by the State Authority or the State Government.

(3) The annual report shall be placed for adoption in the meeting of the State Authority and shall be signed by the Chairperson or any other person as may be authorized by the State Authority for the purpose, authenticated by fixing the common seal of the State Authority and the required number of copies thereof shall be submitted to the State Government by the 31st day of December of the following year.

(4) The annual accounts shall be approved by the State Authority and signed on its behalf by its Chairperson or in his absence by Chairperson of State Executive Committee authorized for this purpose by the Chairperson and authenticated by affixing the common seal of the State Authority and shall be forwarded for audit to the Accountant General (Audit), Haryana, not later than the 30th September of each year or by such date as may be extended by the State Government.

(5) The Audit Officer shall audit and report on annual accounts of the State Authority and certify whether in his opinion the expenditure and income statement contains all particulars and has been drawn up, to exhibit true and fair State of affairs of the State Authority and in case he has called for any information from the State Authority or any of its officers, whether it has been given or whether it has been found satisfactory.

(6) The State Authority shall be bound to give information and explanation in its annual report containing interalia, duly audited accounts or in an addendum thereto on every reservation, qualification or adverse remarks contained in the audit's report duly signed by its Chairperson or in his absence by Chairperson of State Executive Committee and authenticated by affixing common seal of the State Authority.

(7) The annual accounts and auditor's report thereon along with the annual report shall be submitted to the State Government by thirty-first day of December of the following year to which the accounts relate or by such date, as may be specified by the State Government.

(8) The State Authority shall arrange to pay to the Accountant General (Audit), Haryana the expenditure incurred by him in connection with the annual audit of its accounts.

14. (1) The State Disaster Response Fund shall consist of grants made by the State Government and Central Government or external assistance received by the State Authority, contributions/grants received from any person or institution for the purpose of disaster management, including any donation or voluntary endowment.

(2) It shall be utilized by the State Executive Committee to meet expenses for emergency response, relief and rehabilitation in accordance with the guidelines laid down by the State Government and the State Authority.

(3) It shall be administered by the State Executive Committee with the guidance of State Government and State Authority and shall not be used to finance any scheme the provision of which is normally the responsibility of the State Government. In case any scheme is financed from the State Disaster Response Fund, the same shall be financed with the previous approval of the State Government in consultation with the State Authority.

(4) The State Executive Committee of the State Authority may invest the State Disaster Response Fund in one or more accounts in Nationalized Banks or State Cooperative Bank or Scheduled Banks.

(5) Every department of State Government shall make provision in its annual budget for the purpose of carrying out the activities and programmes set out in its Disaster Management Plan.

(6) Regular accounts shall be maintained by the State Executive Committee and, wherever necessary it may avail the services of a firm of Chartered Accountants for the purpose. The auditor shall certify that the expenditure from the State Disaster Response Fund has been incurred in accordance with the objects of the said fund. The accounts and audit of this fund shall be made as per guidelines issued by the Government of India or by the Auditors empanelled by Government of India or by the Comptroller and Auditor General of India or the Accountant

establishment
of State
disaster
response Fund
and procedures
to be followed.
Section 48.

general, (Audit) Haryana as the case may be. However, the books of accounts shall remain open for inspection by any officer authorized by Government of India/State Government to conduct a particular or general inspection/audit thereof.

15. (1) The State Disaster Mitigation Fund shall consist of grants made by the State Government and Central Government or external assistance received by the State Authority and contributions/grants received from any person or institution for the purpose of disaster management and Income from the assets of the State Disaster Mitigation Fund.

Establishment
of State
Disaster
Mitigation
Fund and
procedure to be
followed.
Section 48.

(2) It shall be utilized to meet expenditure on projects for mitigation, including prevention of, and preparedness for, disaster. These projects may cover, inter alia, are as such as:—

- (a) capacity building;
- (b) public awareness;
- (c) information and communication systems, including creation of infrastructure like the State Emergency Operations Centre;
- (d) improving forecasting and early warning systems;
- (e) creation of State Disaster Mitigation Resource Reserves;
- (f) training, research and development;
- (g) maintenance of ongoing public assets and infrastructure and amenities so created or existing.

(3) The State Authority may invest the State Disaster Mitigation Fund in one or more accounts in Nationalized Banks or State Cooperative Bank or Scheduled Banks.

(4) Regular accounts and audit thereof shall be maintained by the State Authority in consultation with the Government of India, Auditors empanelled by Government of India or Comptroller and Auditor General of India or the Accountant General, (Audit) Haryana direct as the case may be. However, the books of accounts shall remain open for inspection/audit by the officers of Government of India/State Government when considered necessary by them and, wherever necessary, it may avail the services of a firm of Chartered Accountants for the purpose. The auditor shall certify that the expenditure from the State Disaster Mitigation Fund has been incurred in accordance with the objects of the said fund.

(5) Every department of State Government shall make provision in its annual budget for the purpose of carrying out the activities and programmes set out in its Disaster Management Plan.

cedure to be
owed by the
rict
ority for
ince
ounts and
it. Sections
nd 78.

16. (1) The accounts of the District Authority shall include all sums of money received and expended by the District Authority including the funds received and accounted for in the District Disaster Response Fund and the District Disaster Mitigation Fund.

(2) (i) The District Authority shall prepare, as soon as may be, after the commencement of each financial year, the annual report showing the annual expenditure and income statement which shall include all money received and expenditure incurred and other subsidiary account at district level as the State Authority may, in consultation with the Government of India, Auditors empanelled by Government of India or Comptroller and Auditor General of India or the Accountant General, (Audit) Haryana direct and submit the same to the State Government before the 31st December of the following year.

(ii) The annual report shall include an account of activities of the District Authority during the previous financial year on the following matters :—

- (a) a statement of aims and objectives and vision of District Authority;
- (b) annual targets, in physical and financial terms set out for various activities with a brief review of actual performance with reference to these targets;
- (c) an administrative report on the activities of the District Authority during the previous financial year and an account of activities which are likely to be taken up during the next financial year;
- (d) a summary of actual expenditure during the previous financial year and the year of report, as indicated by way of statement of (a) Income and expenditure (b) sources and application;
- (e) important changes in policy and specific measures either taken or proposed to be taken, which have influenced or are likely to influence the functioning of the National Authority;
- (f) important changes in the organizational set up of the District Authority.
- (g) other miscellaneous subjects as deemed fit.

(3) The annual report shall be placed for adoption in the meeting of the District Authority and shall be signed by the Chief Executive Officer of the District Authority authenticated by fixing the common seal of the District Authority and the required number of copies thereof shall be submitted to the State Authority and State Government before the 31st December of the following year.

(4) The annual accounts shall be approved by the District Authority and signed by the Chairperson of District Authority and authenticated by affixing the common seal of the District Authority and shall be forwarded for audit to the Accountant General of Haryana, not later than the 15th September of each year or by such date as may be specified by the State Government.

(5) The Audit Officer shall audit and report on annual accounts of the District Authority and certify whether in his opinion the expenditure and income statement contains all particulars true and fair state of affairs of the District Authority and in case he has called for any information from the District Authority or any of its officers, whether it has been given and whether it has been satisfactory.

(6) The District Authority shall be bound to give information and explanation in its annual report containing inter alia, duly audited accounts or in an addendum thereto on every reservation, qualification or adverse remarks contained in the audit report duly signed by the Chairperson of District Authority and authenticated by affixing common seal of the District Authority.

(7) The annual accounts and auditor's report thereon along with the annual report shall be submitted to the State Authority and State Government before the 31st December of the following year to which the accounts relate or by such date as may be specified by the State Government.

17. (1) The District Disaster Response Fund shall consist of grants made by the State Government and Central Government or State Executive Committee of State Authority or external assistance received by State Executive Committees of the State Authority or District Authority and contributions/grants received from any person or institution for the purpose of disaster management and income from the assets of the District Disaster Response Funds.

(2) It shall be utilized by the District Authority to meet expenses for emergency response, relief and rehabilitation in accordance with the guidelines laid down by the State Government and State Executive Committee of State Authority.

(3) It shall be administered by the District Authority under the guidance of the State Government and State Executive Committee.

(4) It may invest District Disaster Response Fund in one or more accounts in Nationalized Banks or Scheduled Banks.

(5) Every department, board or corporation at district level shall make provision in its annual budget for the purpose of carrying out the activities and programmes set out in its disaster management plan.

18. (1) The District Disaster Mitigation Fund shall consist of grants made by State Government, Central Government and external assistance received by State Authority or District Authority and contribution/grants received from any person or institution for the purpose of disaster management and income from the assets of the District Disaster Mitigation Fund.

Establishment of District Disaster Response Fund and procedure to be followed for its operation. Sections 48 and 78.

District Disaster Mitigation fund and procedure to be followed for its operation. Section 48 and 78.

(2) It shall be utilized to meet expenditure on projects for mitigation including prevention of, and preparedness for, disaster. These projects may cover, inter alia, areas such as—

- (a) capacity building;
- (b) public awareness;
- (c) information and communication system including creation of infrastructure like the District Emergency Operation Centre;
- (d) forecasting and early warning systems;
- (e) creation of district disaster mitigation resource reserves;
- (f) training, research and development;
- (g) maintenance of on-going public assets and infrastructure and amenities so created or existing.

(3) It shall be managed by the District Authority.

(4) The District Authority may invest the District Disaster Mitigation Fund in one or more accounts in Nationalized Banks or Scheduled Banks.

(5) The Accounts and audit of this fund shall be maintained by the District Authority and, whenever necessary, it may avail the services of a firm of chartered accountants for the purpose. The auditor shall certify that the expenditure from the District Disaster Mitigation Fund has been incurred in accordance with the objects of the said fund. The accounts and audit of this fund shall be made as per guidelines issued by the Government of India or by the Auditors empanelled by Government of India or by the Comptroller and Auditor General of India or the Accountant General, (Audit) Haryana as the case may be. However, the books of accounts shall remain open for inspection by any officer authorized by Government of India/State Government to conduct a particular or general inspection/audit thereof.

NARESH GULATI,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.